

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

चलन क्र. भोपाल-462004

भोपाल, दि. 04/3/2020

क्रमांक-208/279/2020/20-3

प्रति,

सचिव

सी०बी०एस०ई०

नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-सेंट मेरिस को-एड हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्राम देहरी जमानी रोड इटारसी, जिला-होशंगाबाद, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता विनियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
- (3) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
- (4) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रदर्शित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जावेगा।
- (5) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करावेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।
- (6) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।


Principal
St. Mary's Co-ed Sr. Sec. School
Dehri-Jamani Road, ITARSI


MANAGER
St. Mary's Co-Ed School
Jamani Road, ITARSI 461 111
Hoshangabad (M.P.)

- (7) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
- (9) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एलपीजी आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (10) शिक्षण संस्था में मानव उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (11) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।
- (13) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।


Principal

Mary's Co-ed Sr. Sec. School
Dehri-Jamani Road, ITARSI

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के०के० द्विवेदी)

उप सचिव

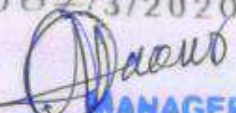
म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि० ०२/३/२०२०

पृ० क्रमांक-209/279/2020/20-3

प्रतिलिपि:-

(1) निःशक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।


MANAGER
St. Mary's Co-Ed School
Jamani Road, ITARSI-461 111
Hoshangabad (M.P.)

11311

- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
 - (3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म0प्र0
 - (4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला होशंगाबाद, म0प्र0
 - (5) विशेष सहायक, मानव मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था सेंट मेरिस को-एड स्वर सेडेन्टरी स्कूल,
ग्राम देहरी जमानी रोड इटारसी, जिला होशंगाबाद, म0प्र0
 - (7) फ्रेन्डर प्रति
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।


उप सचिव

म0प्र0शासक, स्कूल शिक्षा विभाग


Principal

St. Mary's Co-ed Sr. Sec. School
Dehri-Jamani Road, ITARSI


MANAGER

St. Mary's Co-Ed School
Jamani Road, ITARSI 461 111
Hoshangabad (M.P.)